



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2010/श्रावण 18, 1932

No. 1629]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2010/SHRAVANA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

का.आ. 1939(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सारणी के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के खण्ड को जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खण्ड
(1)	(2)	(3)
78	मध्य प्रदेश राज्य में कटनी-उमरिया- शहडोल-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा	4.400 कि.मी. से 245.000 कि.मी. तक
86	मध्य प्रदेश राज्य में सांची-सागर-छतरपुर- मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा	सांची-सागर सेक्शन में 45.600 कि.मी. से 165.600 कि.मी. तक और 2.800 कि.मी. से 188.400 कि.मी. तक सागर-छतरपुर मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा सेक्शन में ।

[फा. सं. एनएच/14013/5/2010-पी एंड एम]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION:

New Delhi, the 9th August, 2010

S.O. 1939(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, as specified in column (3) of the following Table of the Section as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in kilometers
(1)	(2)	(3)
78	Katni-Umaria-Shahdol-Madhya Pradesh/Chhattisgarh Border in the State of Madhya Pradesh	From km 4.400 to km 245.000
86	Sanchi-Sagar-Chattarpur-Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border in the State of Madhya Pradesh	From km 45.600 to km 165.600 of Sanchi-Sagar section and from km 2.800 to km 188.400 of Sagar-Chattarpur-Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border section.

[F. No. NH-14013/5/2010-P & M]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

अधिसूचना

गई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

का.आ. 1940(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [377.600 कि.मी. से 651.500 कि.मी. तक (कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], सं. 12 [10.20 कि.मी. से 314.00 कि.मी. तक (जबलपुर-भोपाल) और बियौरा-मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा सेक्शन (ब्यावरा-रायगढ़ से मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा) के 1.40 कि.मी. से 67.20 कि.मी. तक को छोड़कर], सं. 27, सं. 75 [प्र./उ.प्र. सीमा-छत्तरपुर-बमीठा तक (झांसी नौगांव सेक्शन के 83.40 कि.मी. से 108.00 कि.मी. और नौगांव सतना सेक्शन के 0.00 कि.मी. से 57.20 कि.मी.) को छोड़कर], सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश/राजस्थान-सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर] और सं. 92 जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"
-----	---	--------------------------

[फा. सं. एनएच/14013/5/2010-पी एंड एम]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम बार का.आ. 911(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2010

S.O. 1940(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|-----|--|---|
| “13 | So much of National Highways No. 7 [excluding from km 377.600 to km 651.500 (Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No. 12 [excluding from km 10.20 to km 314.00 (Jabalpur-Bhopal) and from km 1.40 to km 67.20 of Biaora-MP/Rajasthan Border section (Biaora-Rajgarh to Madhya Pradesh/Rajasthan Border)] No. 27, No. 75 [excluding from MP/UP Border- Chhatarpur-Bamitha (from km 83.40 to km 108.00 of Jhansi- Nowgaon section and from km 0.00 to km 57.20 of Nowgaon-Satna Section)], No. 76 [excluding from km 0.000 to km 30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)] and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh. | State Government
of Madhya Pradesh”. |
|-----|--|---|

[F. No. NH-14013/5/2010-P & M]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Footnote: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 911(E), dated the 21st April, 2010.